Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 6 | ISSUE : 12 | DECEMBER 2020

# भारतीय दलित समाज में मानवाधिकारों की स्थिति

**डॉ अभिलाषा आबूसरिया [1] | डॉ अर्चना गोदारा [2]**

[1] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय झुन्झुनू.

[2] सहायक आचार्य, समाजशास्त्र राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ.

## ABSTRACT:

भारतीय दलित समाज में परिवर्तन की शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुए सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से हुई। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के माध्यमों से दलित समाज में मानवाधिकारों के प्रति चेतना का संचार किया। इससे दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय दलित समाज के मानवाधिकारों की स्थिति में स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आये हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में दलितों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानता को स्थान दिया है और विभिन्न उपबंध किये गए हैं ताकि आधुनिक भारतीय समाज का संतुलित विकास हो सके।

## KEYWORDS:

**दलित समुदाय, मानवाधिकार, दलित चेतना.**

आधुनिक भारतीय समाज में परिवर्तन की नींव सन् 1857 में शुरू हुई भारतीय आजादी के लिए हुए स्वतन्त्रता संग्राम के बाद हुए सामाजिक आन्दोलन के द्वारा गढी गई है। भारत के वर्तमान समाज में प्राचीन भारतीय समाज के विपरीत जो बदलाव आज हम देखते है उसके मूल में पश्चिम में हुई सामाजिक व राजनीतिक क्रान्तियाँ, लोकतन्त्र की स्थापना हेतु किया गया संघर्ष, पश्चिमी शिक्षा पद्वति का प्रचार –प्रसार तथा पश्चिमी जगत में मानवीय गरिमा को परिभाषित करने के लिए बनाये गए मानवाधिकार प्रमुख है, जिनका प्रभाव विभिन्न सामाजिक सुधार आन्दोलनों के जरिए भारतीय समाज पर पड़ा। भारत मे दलित समाज सदियों से सामाजिक शोषण का शिकार होता आया है। वर्तमान में स्थिति सुधरी जरूर है परन्तु बदली नहीं है। मनु द्वारा स्थापित वर्ण–व्यवस्था के उपरान्त समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को तहस–नहस कर उसे सम्पूर्ण जीवन – पर्यन्त सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया तथा उस क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर उसके योगदान को समाज द्वारा पाबन्द कर दिया गया इस वर्ण व्यवस्था से सम्पूर्ण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सदियों तक शोषण व दमन का शिकार होता आया हैं।

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो कि समाज के सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रही थी, उसमें सभी वर्गों के अधिकारों की बात करना प्रतिबन्धित रहा है । इसके प्रभाव स्वरूप शोषित व दमित दलित समाज को मानवाधिकारों से नितान्त वचित रखा गया, जिसके गम्भीर परिणाम भारत को भुगतने पड़े हैं। प्राचीन भारतीय भू–भाग पर कई राष्ट्रों का उदय हुआ तथा प्राचीन हिन्दु समाज में से समय–समय पर बड़ी संख्या में शोषित लोगों द्वारा हिन्दु धर्म का त्याग कर दूसरी धार्मिक मान्यताओं कों अंगीकार करते हुए धर्मान्तरण हुए जो कि राष्ट्र के विघटन के प्रमुख कारण भी बने। वर्तमान में भी हिन्दू धर्म को त्याग कर अन्य धर्म को ग्रहण करने की घटनाएं घटित हो रही हैं। जो समाज की एक बदतर तस्वीर को दिखता है।

दलित समाज के मानवाधिकारों हेतु 1857 के संग्राम के बाद अनेक सामाजिक आन्दोलन हुए जिनमें दलित लोगों को सार्वजनिक तालाब व कुओं से पानी लेने से वचित किया गया. मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई गई, मैला ढ़ोने के कार्य तक सीमित दिया गया, शादी– समारोहों मे घोडी पर चढने के लिए प्रतिबन्धित किया गया इत्यादि। इस प्रकार जो अधिकार समाज के अन्य वर्गों को प्राप्त थे उनसे दलित समाज को बंचित कर दिया गया। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ–साप ही भारतीय समाज में दलित समुदाय क मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा दलित मानवाधिकारों को शेष भारतीय समाज द्वारा स्वीकार करने की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने दलित समाज को अपने मानवाधिकारों का ज्ञान करवाने व उनकी रक्षा करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। डॉ अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र कुलाबा जिले में महाड नगरपालिका के चोबदार तालाब से पानी लेने के लिए हजारों दलितों का नेतृत्व किया तथा 1935 में नासिक के कालाराम मंदिर के द्वार दलित समुदाय के दर्शनार्थ खुलवाये। दोनों संघर्षों म मानवाधिकारों की मांग निहित थी और डॉ. अम्बेडकर ने दलित समाज के मानवाधिकारों की दिशा म प्रबल संघर्ष में विजय दिलवाई।[1] भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों ने दलित समाज में मानवाधिकारों के प्रति चेतना का संचार किया और इन आन्दोलनों एवं संघर्ष के मूल तत्व दलित समाज के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में समाहित किए गए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 ई. में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तथा 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार अंतराष्ट्रीय बिल को मानवाधिकार की स्थापना के लिए लागू किया।[2] भारत संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तत्व दलित मानवाधिकार के सरक्षण को अत्यधिक बढ़ावा देते है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसके तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एव राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।[3] देश में विधायिका द्वारा 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कर किसी नदी, जलधारा, कुए, तालाब, स्नानघर, शमशान आदि से दलितो को निवारित करने, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस निकालने से रोकने सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोक को दण्डनीय अपराध माना।[4] वर्ष 1989 में इसी दिशा म एक और प्रभावी कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित कर दलितों पर आये दिन होने वाले अत्याचारों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।[5] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 398 के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारों के लिए वर्ष 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तदनुसार राज्यों में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोगों का गठन दलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया संविधान के अनुसार किए गए विभिन्न प्रावधानों एवं सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप दलित समाज की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण के चलते प्रतिनिधित्व बढ़ा है तथा पंचायती राज संस्थाओं में राजनैतिक प्रतिनिधित्व भी दलित समाज के लिए आरक्षित करने से राजनैतिक चेतना का संचार हुआ है और सभी राजनैतिक दलों एवं सरकारों ने दलित हितों की रक्षार्थ कदम उठाये हैं।

यह गौरतलब है कि भारतीय दलित समाज में मानवाधिकारों की स्थिति में स्वतन्त्रता पश्चात अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन आये हैं जिससे अलग अलग पड़े दलित समाज की शेष समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है लेकिन सदियों से चली आ रही मान्यताओं में अभी बहुत बदलाव लाये जाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय समाज विघटन से बच सके। तमाम प्रयासों के पश्चात् भी समय–समय पर दलित मानवाधिकारों के दमन ने सम्पूर्ण भारतीय समाज को झकझोर दिया है। वर्ष 2016 के शुरूआत में रोहित वेमुला से अन्याय, गुजरात के ऊना में चार दलित युवकों को गाड़ी से बांधकर बेरहमी से पिटाई, मध्यप्रदेश में 50 दलित परिवारों द्वारा मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की गुहार एवं हरियाणा में हुई दलित उत्पीडन की घटना, तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या (2016), तेज़ संगीत के चलते सहारनपुर हिंसा(2017), भीमा कोरेगांव(2018) और डॉ पायल तड़की की आत्महत्या(2019), 6 जून 2020 में उत्तरप्रदेश के अमरोहा में मंदिर में प्रवेश को लेकर दलित युवक विकास जाटव की हत्या, 9 जून 2020 को उत्तरप्रदेश के जौनपुर में दलितों के घर जला देने और उन्हें मरने पीटने की घटनाएं और साम्प्रदायिक संघर्ष तथा अक्टूबर 2020 में उत्तरप्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती का गैंगरेप और उसकी हत्या ने फिर अहसास दिलवाया है कि ऐसी घटनाएं हमें फिर मध्य युग में ले जा रही हैं। दलित वर्ग के लगभग 20 करोड़ लोगों के मानवाधिकारों को आज भी हम संरक्षण नहीं दे पाए है। हर 18 मिनट में एक दलित के विरूद्ध अपराध होता है, रोज 3 दलित महिलाओं से दुष्कर्म होता है, रोज 2 दलितों की हत्या होती है और रोज 2 दलितों के घर जला दिए जाते हैं।[6]

इस वातावरण में इस वर्ग को जो तिरस्कार झेलना पड़ता है यह आंकड़ों में नहीं आँका जा सकता।

आधुनिक भारतीय समाज में दलितों के मानवाधिकारों की रक्षार्थ दलिता को शैक्षिणक समानता दिलाना, सामाजिक असमानता को तोड़ना, राजनैतिक असमानता दूर करना तथा दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त करना आवश्यक है ताकि दलित समाज को समान अवसर प्राप्त हों और वह अपने मानवाधिकारों की रक्षा कर सके जिससे भारतीय समाज में विघटन को रोका जा सके।

## REFERENCES

1. डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा, मानवाधिकार एवं दलित चेतना, 2012 पृष्ठ 55–56
2. डी पी. सिंह, मानवाधिकार और दलित, 2011 पृष्ठ 10
3. डी. डी. बसु , भारत का संविधान
4. सुभाष कश्यप, भारत की संसद
5. डॉ. देवेन्द्र पाल सिंह तोमर, मानवाधिकार सिद्धान्त एव व्यवहार, 2011 पृष्ठ 165
6. राजस्थान पत्रिका दिनांक 29.8.2016, सम्पादकीय